अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 107, पोर्ट ब्लेयर, बृहस्पतिवार, 01 अक्तूबर, 2020

No. 107, Port Blair, Thursday, October 01, 2020

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उद्योग निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 01 अक्टूबर 2020.

सं.107/2020/फा. सं. 2–916/स्टार्टअप पोलिसी/पी.एल/उद्योग/2019–20.– अण्डमान तथा निकोबार राजपत्रित अधिसूचना संख्या 121/2019/ फा. सं. 2–817/स्टार्टअप पोलिसी/पी.एल./उद्योग/2018–19 दिनांक 14 जून, 2019 के शीर्षक "अण्डमान तथा निकोबार स्टार्टअप फंडिग एंड इन्सेन्टीव स्कीम, 2019" में माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा निम्न संशोधन किया जा रहा है ।

1. खण्ड 2 में दर्शित शीर्षक "प्रोत्साहन योजना की अवधि व आरंभ" में शब्द "यह प्रोत्साहन योजना अधिसूचना के प्रकाशन से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी होगा, यदि संशोधन या निरस्त हो" को संशोधित करते हुए "यह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी होगा, यदि संशोधन या निरस्त हो" ।

2. खण्ड 5.2 में दर्शित शीर्षक "स्टार्टअप विकास अनुदान" में शब्द "रुपए तीन लाख तक की एक समय अनुदान प्रदान किया जाएगा जो उत्पादन/सेवाओं को विकास करने के लिए आवश्यक योग्यता स्तर के अनुसरण में होगा" को "रुपए तीन लाख तक की एक समय अनुदान प्रदान किया जाएगा जो उत्पादन / सेवाओं को विकास करने के लिए आवश्यक योग्यता स्तर के अनुसरण में तथा अनेक्चर 10 में दर्शित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने पर होगा" ।

3. खण्ड 7 में दर्शित शीर्षक "निधि जारी करने के दिशा–निर्देश" के उप–खण्डों में निम्न को जोड़ा जाता है :–

7.9 स्टार्टअप विकास अनुदान

क. "स्टार्टअप को ऑनलाईन प्रोफार्मा को अनेक्चर 10 में दर्शित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा" ।

ख. "स्टार्टअप विकास अनुदान उन्हीं स्टार्टअप को प्रदान किया जाएगा जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 12 माह तक निगमित व प्रचालन किया हो" ।

4. खण्ड 8 में दर्शित शीर्षक "सामान्य दिशा–निर्देश" में निम्न उप–खण्डों को जोड़ा गया :

8.7 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 12 माह तक निगमित व प्रचालन किया गया स्टार्टअप को ही "स्टार्टअप मासिक भत्ता", "स्टार्टअप विकास अनुदान" तथा "जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति" प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक प्रोत्साहन के संबंध में एनेक्चर में बताए गए दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

8.8 "अण्डमान तथा निकोबार स्टार्टअप पोर्टल में आवेदन के समय ऑनलाईन अपलोड किए गए दस्तावेज पर ही विचार किया जाएगा एवं उपरांत में जोड़ने या बदलाव करने के लिए कोई मौका प्राप्त नहीं होगा" ।

8.9 "प्रोत्साहन के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले स्टार्टअप, पोर्टल के खण्ड 14 में दर्शाए गए वचन को देखना होगा" ।

5. खण्ड 14 जोड़ा गया, अण्डमान तथा निकोबार स्टार्टअप पोर्टल में ऑनलाईन प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए आवेदन देते समय प्रस्तुत करना होगा , इस प्रकार पढ़े :

" उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है और किसी प्रकार की जानकारी की मिथ्यप्रस्तुति के लिए मैं बाध्य होगा" ।

6. एनेक्चर में, एनेक्चर 10 में स्टार्टअप विकास अनुदान में निम्न जोड़ा गया:

अनेक्चर 10

क्रम सं.	क्षेत्र	विवरण
1.	निगमीकरण प्रमाणपत्र	
2.	शेयरधारकों की हस्ताक्षरित किए गए करार व किसी पंजीकृत चार्टरित लेखापाल / सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा निधि को प्राधिकृत करते हुए प्रावरण पत्र	
3.	किसी पंजीकृत चार्टरित लेखापाल / सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट, बैलेन्स शीट व लाभ व हानि लेखा	
4.	संस्था के बहिर्नियम / संस्था के संकल्प	
5.	जी. एस. टी. संख्या	
6.	न्यूनतम साध्य उत्पाद	**संलग्नक:** 1. उत्पाद की वीडियो 2. उत्पाद की फोटो 3. वेबसाईट (यदि हो तो) 4. पूर्ण प्रोत्साहन (सोफ्टवेयर उत्पाद) (स्टार्टअप लिंक प्रदान करें)
7.	बैंक का नाम	
8.	लेखा का नाम	
9.	लेखा संख्या	
10.	बैंक की आई.एफ.एस.सी. कोड	
11.	शाखा का पता	

7. इन खण्डों व लेखा में शब्द औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन (डी.आई.पी.पी.) को निम्न से बदला जाता है "उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.)" ।

एडमिरल डी. के. जोशी
पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वाई.एस.एम, एन.एम, वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नाम व आदेश से,

ह./-
(अजीत आनंद)
उद्योग निदेशक

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 01st October, 2020

No.107/2020/ F.No. 2-916/Startup Policy/PL/IND/2019-20.— The Hon'ble Lt. Governor, Andaman and Nicobar Islands is pleased to make the following amendments in the Andaman & Nicobar Gazette Notification No. 121/2019/F.No. 2-817/Startup Policy/PL/IND/2018-19 dated 14th June, 2019 titled "Andaman and Nicobar Islands Start-Up Funding and Incentives Scheme, 2019".

1. In clause 2 under the heading "Commencement & Duration of the Package of Incentives", for the words, "The Package of Incentives shall come into force with effect from date of notification and remain in force upto 31st March, 2020 unless amended or repealed", is substituted by **"The Package of Incentives shall come into force with effect 1st April, 2020 and remain in force upto 31st March, 2021 unless amended or repealed".**

2. In clause 5.2 under the heading "Start-Up Growth Grant" for the words "A one-time grant of up to INR 3 Lakh will be granted to start-ups to develop their products/service complying to the eligibility criteria" is substituted by "**A one-time grant of up to INR 3 Lakh will be granted to startups to develop their products/service complying to the eligibility criteria and subject to submission of documents as stipulated in Annexure 10**".

3. In clause 7 under the heading "Fund Release Guidelines", the following sub-clause is added :-

   7.9 Startup Growth Grant

   a. The Startup must submit online proforma with the relevant documents and details as mentioned in Annexure 10".

   b. The Startup Growth Grant will be provided only to the Startup incorporated and functional in A & N Islands for atleast a period of 12 months".

4. In clause 8 under the heading "General Guidelines", the following sub-clauses are added:

   8.7 "The startup should be incorporated and functional in A & N Islands for atleast a period of 12 months for availing the incentives of "Startup Monthly Allowance", "Startup Growth Grant", "Marketing Assistance" and "GST Reimbursement". The submission of documents as stipulated in the Annexures in respect of each incentive is mandatory".

   8.8 "Only the documents uploaded by Startups in the A & N Startup Portal at the time of applying online will be considered and there will be no scope of further addition or altering documents after submission of online application".

   8.9 "The Startups applying online for the incentives have to check an undertaking in the Portal as mentioned in clause 14".

5. Clause No. 14 added, Undertaking by startup to be submitted for each individual incentives when applying in the Andaman & Nicobar Startup Portal online, to be read as:-

   "The above information is true to the best of my knowledge and I may be held liable for any misrepresentation of information".

6. In the Annexures, Annexure 10 is added for "Startup Growth Grant" as under :-

Annexure 10

Sl. No.	FIELDS	DETAILS
1	Incorporation Certificate	
2	Signed Shareholder Agreement and covering letter duly certified by a registered Chartered Accountant/Statutory Auditor authorizing the funding	
3	Enclose copies of Annual Report, Balance Sheets and Profit and Loss Accounts duly certified by a registered Chartered Accountant/Statutory Auditor	
4	Memorandum of Association / Board Resolution	
5	GST Number	
6	Minimum Viable Product (MVP)	**Attachments:** 1. Product Videos 2. Product Photos 3. Website (if any) 4. Full stimulation (for software product) (startup to provide link)
7	Bank Name	
8	Account Name	
9	Account Number	
10	IFSC Code of the Bank	
11	Branch Address	

7. In the clauses and paragraphs containing the word Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), the following may be substituted: "**Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT)**".

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lt. Governor (Administrator),
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

Sd./-
(Ajit Anand)
Director of Industries

MGPPB—107/Gazette/2020 — 45 Copies. (YSN)